

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी 2016—पौष 23, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. 663-11-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 जनवरी, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १२ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.
- धारा १३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) की धारा १३ में, उपधारा (२) में, शब्द "दुगनी" के स्थान पर शब्द "चौगुनी" स्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. 663-11-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2016

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

[Received the assent of the Governor on the 12th January, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th January, 2016].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

- Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.
- Amendment of Section 13. 2. In Section 13 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), in sub-section (2), for the word "twice" the words "four times" shall be substituted.